कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2644 /11–सी–FP/UP/Road/18934/2016 ,लखनऊः दिनांकः जून 13 ,2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
गोण्डा।

विषयः– बहराइच वन प्रभाग के अर्न्तगत एन0एच0–730 के किमी0 248.400 से किमी0 280.000 तक (बहराइच–श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अर्न्तगत एन0एच0–730 (बहराइच–बलरामपुर मार्ग) के किमी0 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात कुल 35.063 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–4249/11–सी, दिनांक–06.06.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

- <u>बहराइच वन प्रभाग :–</u>

1– प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है, किन्तु शीर्षक अंकित नहीं है।

2– प्रस्तावित वनभूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु पृष्ठ संख्या–40 पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

3– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

4– परियोजना में लागत–लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

5– आनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट अपलोड की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः आनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल के 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट अपलोड करें।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु आनलाईन भाग–2 में के0एम0एल0 फाइल ओपेन नहीं हो रही है।

7– प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न है किन्तु क्षेत्रफल व किमी0 त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।

8– वन अधिकार अधिनियम–2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु आनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।

9– प्रस्ताव में हिन्दी वर्जन भाग–1 तथा अंग्रेजी वर्जन आनलाईन भाग–2 संलग्न नहीं है।

10– आनलाईन भाग–2, कमांक–4 में ईको क्लास–1 फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः ईको क्लास–3 फीड करें तथा हरियाली घनत्व 0.04 फीड है, जो वृक्षों के पातन की दृष्टि से कम प्रतीत होता है। अतः आनलाईन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 में एक समान उचित हरियाली घनत्व अंकित करें।

11– हार्डकापी भाग–2, कमांक–vii में वृक्षों के सम्बन्ध में 'नहीं' अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।

12– आनलाईन भाग–2, कमांक–5, 6 व 7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः कमांक–5 में The area is covered under Plantation working circle of the working plan, कमांक–6 में The Forest area is not vulnerable to soil erosion तथा कमांक–7 में शून्य किमी0 फीड करें।

13– आनलाईन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पूर्ण धनराशि अंकित नहीं की गयी है।

14– आनलाईन भाग–2 Additional information Details में आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।

15– आनलाईन भाग–2 District Profile में विवरण त्रुटिपूर्ण व हार्डकापी भाग–2 के अनुसार अपलोड नहीं है।

- <u>श्रावस्ती वन प्रभाग :–</u>

1– प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन टोपोशीट संलग्न है, किन्तु श्रावस्ती वन प्रभाग की टोपोशीट संलग्न नहीं है। तथा मैप पर शीर्षक अकित नहीं है और न ही प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित है।

2– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

3– प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूचीं संलग्न है किन्तु पृष्ठ संख्या–129–130 पर संलग्न प्रमाण पत्र में केवल वैज्ञानिक नाम सहित वृक्षों का सारांश संलग्न करें।

4– परियोजना में लागत–लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

5– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग–2 में प्राक्कलन की धनराशि व प्राक्कलन अपलोड नहीं है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु आनलाईन भाग–2 में Geo Refferenced Digital Map की पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड नहीं है।

7– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न नहीं है, संलग्न करते हुए आनलाईन भाग–2 में अपलोड करें।

8– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग–2 में अपलोड नहीं है।

9– प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने एवं एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई धनराशि की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न है किन्तु उसमें क्षेत्रफल व किमी0 त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है।

10– वन अधिकार अधिनियम–2006 के अर्न्तगत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु आनलाईन भाग–2 में अपलोड नहीं है।

11– गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व मार्ग चिन्हित नहीं है।

12– मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न है किन्तु भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नही है।

13– प्रस्ताव में हिन्दी वर्जन भाग–1 तथा अंग्रेजी वर्जन आनलाईन भाग–2 संलग्न नहीं है।

14– आनलाईन भाग–2, कमांक–4(i) Density of Vegitation में क्षेत्रफल व Density शून्य फीड किया गया है तथा हार्डकापी भाग–2 में हरियाली का घनत्व 0.6 अंकित है। जो त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षेत्रफल व उचित एक समान हरियाली घनत्व फीड करें।

15– आनलाईन भाग–2, कमांक–5 व 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः कमांक–5 में The area is covered under Plantation working circle of the working plan, कमांक–6 में The Forest area is not vulnerable to soil erosion फीड करें।

16– आनलाईन भाग–2, कमाक–7 व हार्डकापी भाग–2 कमांक–7 (ix) में 20 किमी0 फीड है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः परियोजना संरक्षित वनभूमि से सटी होने के कारण शून्य फीड करें।

17– आनलाईन भाग–2 District Profile में विवरण त्रुटिपूर्ण व हार्डकापी भाग–2 के अनुसार अपलोड नहीं है।

18– आनलाईन भाग–2 Additional information Details में आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।

विषयगत परियोजना में बहराइच वन प्रभाग की 20.072 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा श्रावस्ती वन प्रभाग की 14.991 हे0 संरक्षित वनभूमि का अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त दोनो वन प्रभागों में इंगित कमियों का निराकरण करने के पश्चात, दोनो वन प्रभागों का प्रस्ताव समेकित कर, पृष्ठ संख्या अंकित कर, विषय–सूचीं संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी– FP/UP/Road/18934/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती एवं बहराइच।
2. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY-1153